

शपथ पत्र
समक्ष- उप निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

- i. यह कि मेरा नाम पुत्र/पुत्री / श्री / पत्नी
..... पता संस्था
उत्तराखण्ड फिल्म एसोसियेशन का अध्यक्ष हूँ।
- ii. मेरी जानकारी में इस नाम की संस्था पूर्व में पंजीकृत नहीं है अगर पंजीकृत पायी जाती है तो मैं इस संस्था के नाम परिवर्तन की कार्यवाही करूंगा।
- iii. पंजीकरण हेतु अविष्टि समस्त प्रपत्र, स्मृति पत्र तथा नियमावली में दिये गये विवरण एवं किये गये हस्ताक्षर सभी सही है।
- iv. स्मृति पत्र तथा नियमावली मूल रजिस्टर की ही सत्य प्रतिलिपि है।
- v. स्मृति पत्र तथा नियमावली की सभी पधिकारियों/ सदस्यों को जानकारी है।
- vi. समिति में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।
- vii. स्मृति पत्र तथा नियमावली में कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है।
- viii. स्मृति पत्र तथा नियमावली में किये गये संशोधनो की सभी पदाधिकारियों / सदस्यों को जानकारी है।
- ix. संस्था के समस्त उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 एवं 20 के अनुसार पूर्णरूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होंगे।
- x. संस्था धारा 1 व 20 में वर्णित प्रयोजनार्थ पंजीकृत की जा रही है।
- xi. संस्था द्वारा लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं किया जायेगा। संस्था द्वारा स्मृति पत्र में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार साहित्य, वैज्ञानिक या धर्मार्थ कार्य किये जायेगे।
- xii. इस समिति को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व विदेश से कोर्स दान मिलना प्रस्तावित नहीं है। यदि ऐसा कोई अनुदान संस्था को मिलता तो उसकी सूचना उपनिबन्धक कार्यालय को दी जायेगी तथा उसका उल्लेख आय व्यय लेखों से किया जायेगा।
- xiii. विदेश से प्राप्त होने वाले अनुदान/दान हेतु एफ० सी० आर०ए० में पंजीकरण कराया जायेगा। उपरोक्त विवरणानुसार सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु निम्न संलग्नक सहित प्रपत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य /सूचना मेरी जानकारी में सत्य व सही है।
- xiv. पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये गए समस्त प्रपत्रों में हस्ताक्षर सही व सत्य है। यदि किसी पदाधिकारी तथा सदस्य के हस्ताक्षर गलत पाए जाते है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शापतकर्ता तथा स्वयं हस्ताक्षर कर्ताओं की होगी।

शपथकर्ता

सत्यापन

इस शपथ पत्र की क्रम संख्या 1 से 13 तक मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। कोई भी बात छुपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथकर्ता

नोट- शपथ पत्र अध्यक्ष अथवा सचिव में से किसी एक के द्वारा दिया जाना चाहिए तथा स्वप्रमाणित /स्वहस्ताक्षरित सहित रु० 10/- के Non- judicial stamp paper पर टंकित होना चाहिए।